राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–16/2025

पुष्पा देवी बनाम् धुरपति देवी।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–29.05.2025, दिनांक–07.10.2025 तथा दिनांक–14.10.2025 को की गई, जिसमें वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम उपस्थित रहे, जबकि प्रतिवादी की ओर से वरीय विद्वान अधिवक्ता श्री शेखर सिंह एवं विद्वान अधिवक्ता नवनीत कुमार तिवारी उपस्थित रहे। **निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण की ओर से श्री विकाश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता विकास शाखा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का अनुरोध उनके मुवक्किल को पद से हटाने का है, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–2301, दिनांक–05.08.2025 के द्वारा पूरा किया जा चुका है। उक्त आदेश को C.W.J.C. No. 13647/2025, के माध्यम से उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई है। अतः उक्त Writ के निष्पादन तक उन्हें समय प्रदान किया जाए। आयोग द्वारा उन्हें समय प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि वाद अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध था, परन्तु उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके प्रत्येक Submission को संज्ञान में लिया जायेगा तथा आयोग का निर्णय स्थापित न्याय प्रक्रिया के नियमों के तहत ही की जायेगी।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्रतिवादी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–25(5) के तहत भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, रक्सौल के पद से हटाया जा चुका है।

उनके द्वारा भी यह वाद प्रतिवादी पद से हटाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(i)–सह–पठित धारा–18(2) के तहत लाया गया है। आगे उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा–18(1)(i) में जान–बुझकर कर्त्तव्यों की अवहेलना करने पर अयोग्यता का प्रावधान है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि मुख्य पार्षद के कर्त्तव्य एवं शक्तियों का विवरण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–27(A) में वर्णित है। उनके द्वारा अपने वाद–पत्र के पारा–11 का वाचन आयोग के समक्ष किया गया, जिसमें उक्त प्रावधान का अंकन किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यदि निर्वाचित वार्ड पार्षदों की कुल संख्या का 2/5 भाग बैठक बुलाने हेतु अध्यपेक्षा देता है, तो मुख्य पार्षद बैठक बुलाने हेतु बाध्य है, परन्तु विचाराधीन मामले में मुख्य पार्षद द्वारा बैठकें नहीं बुलायी गयी। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा वाद–पत्र के पारा–30 एवं अनुलग्नक P-3 का अवलोकन आयोग को कराया गया। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके पूरे कार्यकाल में 25 बैठकों

के स्थान पर केवल 08 बैठकें हुई। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बोर्ड गठन के उपरांत 09 माह तक कोई बैठक नहीं की गई। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जान–बुझकर बोर्ड की बैठकें नहीं बुलाना Wilfully Omission of Duty की श्रेणी में आता है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–82 में **'बज़ट प्राक्कलन'** का प्रावधान है, परन्तु बिना बज़ट प्रावधान के पैसे की निकासी की गई, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुये, पद से हटा दिया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका अगला आरोप यह है कि उनके द्वारा विभागीय प्रतिबंध के बावजूद अपने **'नाती'(पुत्री के पुत्र)** को नगर परिषद्, रक्सौल में नियुक्ति कर दिया गया।

उनके द्वारा अंत में आयोग को बताया गया कि उनके आरोपों की पुष्टि जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से भी होती है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी आयोग में Clean Hand से नहीं आए है। Same set of Facts and allegation पर वादी के पति द्वारा दो बार माननीय उच्च न्यायालय, पटना में PIL दायर किया गया था, जिसे Merit नहीं होने की वजह से वापस लेना पड़ा। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा C.W.J.C. No. 19546/2024, का अवलोकन आयोग को कराया गया तथा इससे संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक–03.01.2025 के पारा–04 का भी अवलोकन आयोग को कराया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Same set of Facts and allegation पर श्रीमती धुरपति देवी द्वारा PIL C.W.J.C. No. 19763/2024, दायर किया गया था।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Same set of Facts and allegation पर वादी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना में वाद दायर किया गया था, जिसपर सुनवाई करते हुए, दिनांक–05.08.2025 को आदेश ज्ञापांक–2301 निर्गत कर उनके मुवक्किल को पद से हटा दिया गया है। उनके द्वारा उक्त आदेश में अंकित क्रमांक–02(i) से (iv) पर अंकित आरोपों का अवलोकन आयोग को कराया गया तथा बताया गया कि इस विचाराधीन वाद के भी सभी आरोप शत–प्रतिशत एक समान है।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध दो न्यायिक फोरम पर एक ही मामले हेतु सामान्तर कार्यवाही नहीं चल सकती। ऐसे मामले में जहाँ सरकार द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है, आयोग के स्तर से ऐसी कार्यवाही स्वतः प्रतिबंधित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यह मामला Disputed Question of Facts पर आधारित है। इस कारण भी आयोग इस मामले की सुनवाई इस Stage पर नहीं कर सकता।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंत में आयोग को बताया गया कि उनके वाद–पत्र में Typing Error के कारण Disqualification के स्थान पर Removal शब्द टंकित हो गया है, इसके बावजूद Statute के Provision इन गलतियों पर Prevail करेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) द्वारा पत्रांक–31, दिनांक–21.04.2025 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका समेकित अंश निम्नवत् है:–

क्र0सं0	श्रीमती पुष्पा देवी, उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद् रक्सौल द्वारा लगाये गये, आरोप	श्रीमती धुरपति देवी, मुख्य पार्षद, द्वारा समर्पित तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एवं निवेदन	मंतव्य
1.	विभाग द्वारा प्रतिबंध के बावजूद मेरे द्वारा अवैध रूप से ग्रुप ''सी'' एवं ग्रुप ''डी'' अनेकों (लगभग 45 की संख्या में) बहाली की गई है।	दिनांक–13.02.2024 की सम्पन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों के आलोक में ग्रुप ''सी'' एवं ग्रुप ''डी'' में नियुक्तियाँ तथा 14 वाहन चालकों(ड्राइवरों) एवं 22(बाईस) सफाई कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति दैनिक मजदूरी पर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् रक्सौल द्वारा की गई थी, जिसे दिनांक–26.10.2024 की सम्पन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक में विधिवत् प्रस्ताव संख्या अन्यान्य–01 सर्वसम्मति से पारित कर उक्त सभी नियुक्तियों को रद्द कर दी गई है तथा कार्यपालक पदाधिकारी को अग्रेत्तर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। नगर परिषद् की सम्पन्न दिनांक–18.10.2024 को बोर्ड की अध्यपेक्षा बैठक में भी उक्त सभी नियुक्तियों को खारिज कर दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रक्सौल द्वारा ग्रुप ''सी'' में नियुक्ति श्री मनीष कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक(सहायक) को कार्यालय पत्रांक–765, दिनांक–28.11.2024 एवं श्री रैय्यान बाबू, भू–मापक (अमीन) को कार्यालय पत्रांक–764, दिनांक– 28.11.2024 द्वारा बहाली को रद्द करते हुए, कार्यमुक्त कर	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् रक्सौल द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि:– ग्रुप ''सी'' एवं ग्रुप ''डी'' में सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक–13.02.2024 में पारित प्रस्ताव के आलोक में हुई है, परन्तु इस बैठक में लिये गये निर्णय की सम्पुष्टि बोर्ड से नहीं ली गयी है और न ही विभाग से किसी प्रकार का मंतव्य/मार्गदर्शन अथवा आदेश लेने हेतु पत्राचार किया गया है। यह नियुक्तियाँ बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा–38 ''ख'' एवं विभागीय अधिसूचना संख्या ज्ञापांक–1843, दिनांक– 12.05.2021 एवं अधिसूचना संख्या–3824, दिनांक– 08.08.2023 का उल्लंघन है। अतः आरोप की पुष्टि होती है।

		दिया गया है। नगर परिषद् द्वारा पूर्व में की गई नियुक्तियों के संबंध में मुझे आग्रहपूर्वक कहना है कि उक्त सभी नियुक्तियाँ सशक्त स्थायी समिति के पारित दिनांक–13.02.2023 के आलोक में किये गये थे। नियुक्ति का निर्णय व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि निर्णय सामुहिक था, जिसमें परिवादी श्रीमती पुष्पा देवी, उप मुख्य पार्षद की भी सहमति थी। दिनांक–13.02.2023 की सम्पन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक में परिवादी श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा प्रस्ताव संख्या–10 में नगर परिषद् में 20(बीस) सफाई मजदूर अतिरिक्त रखने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसकी स्वीकृति के उपरांत सफाई मजदूर रखें गये थे तथा परिवादी श्रीमती पुष्पा देवी, उप मुख्य पार्षद द्वारा प्रस्ताव संख्या–14 अन्यान्य (iv) में एक भू–मापक(अमीन) की बहाली हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसकी स्वीकृति के उपरांत रैयया़न बाबू को दैनिक मजदूरी पर अस्थायी रूप से तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई थी। उक्त सभी नियुक्तियों में मेरी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, मेरे ऊपर लगाये गये आरोप निराधार है। नगर परिषद् द्वारा की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है।	
2.	बिना बोर्ड की सम्पुष्टि के हीं लगभग 07 से 08 करोड़ रूपये की खरीददारी मेरे द्वारा कर ली गई है।	परिवादी का यह आरोप बिल्कुल की तथ्यहीन एवं निराधार है। दिनांक–12.10.2023 की सम्पन्न बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्तावों एवं	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् रक्सौल द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि:–

		सशक्त स्थायी समिति के पारित प्रस्तावों के आलोक में नगर परिषद् में आवश्यक सफाई उपकरणों एवं सामग्रियों का क्रय GeM Portal के माध्यम से किया गया है। नगर परिषद् में वित्तीय शक्ति कार्यपालक पदाधिकारी में निहित है। दिनांक–12.10.2023 की बोर्ड की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर की प्रति तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्यालय ज्ञापांक–413, दिनांक–12.10.2023 द्वारा विभाग को प्रेषित है। सफाई उपकरणों एवं सामग्रियों को क्रय करने का निर्णय सामुहिक है, जिसमें परिवादी उप पार्षद, श्रीमती पुष्पा देवी की भी सहमति है। मेरे ऊपर लगभग 07 से 08 करोड़ रूपये की खरीदारी का जो आरोप है, वह तथ्य से परे है तथा बिल्कुल ही निराधार है।	दिनांक–12.10.2023 को बोर्ड की बैठक में सामग्री क्रय करने का निर्णय लिया गया है, परन्तु मुख्य पार्षद के द्वारा न तो इसकी सम्पुष्टि करायी गयी है और न ही प्रस्ताव की प्रति किसी पार्षद को हस्तग करायी गयी है, साथ ही इस वित्तीय वर्ष 2024–25 का बजट भी पारित कराने का प्रयास मुख्य पार्षद के द्वारा नहीं किया गया है। जो नगरपालिका अधिनियम की धारा–48, कार्य संचालन नियमावली की धारा–10(5) एवं बिहार वित्त नियमावली की धारा–138 का उल्लंघन है। अतएव आरोप की पुष्टि होती है। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् रक्सौल के द्वारा बिना सम्पुष्टि के क्रय किया जाना वित्तीय अनियमितता है।
3.	विगत् 08 माह से मेरे द्वारा बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई है, सभी कार्य सशक्त स्थायी समिति की माध्यम से करायी गयी है।	परिवादी श्रीमती पुष्पा देवी, उप मुख्य पार्षद का यह आरोप भी मेरे विरूद्ध सही नहीं है। दिनांक–12.10.2023 को बोड की बैठक सम्पन्न हुई है तथा मेरे द्वारा दिनांक–19.03.2024 को बोर्ड की बैठक की तिथि निर्धारण कर अपने कार्यालय पत्रांक–83, दिनांक–14.03.2024 कार्यपालक पदाधिकारी को बैठक बुलाने का पत्र दिया है, परन्तु लोकसभा निर्वाचन–2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को होने के पश्चात् आर्दश ऑचार संहिता की वजह से बोर्ड की बैठक नहीं कराया जा सकता है। बोर्ड की बैठक नियमतः हो रही है। विगत माहों में	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् रक्सौल के द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि:– संचिका के अवलोकन से पुष्टि होती है कि दिनांक–12.10.2023 को बोर्ड की बैठक के उपरांत अगली बैठक दिनांक–31.07.2024 को आहूत हुई है। जिसके कारण 02 बैठको के बीच 09 माह से अधिक का अन्तराल रहा है। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–48(1) के तहत नगरपालिका अपने कार्य के संचालन हेतु प्रत्येक माह कम से कम एक बार बोर्ड की सामान्य बैठक करेगी। जिसका उल्लंघन मुख्य पार्षद

		दिनांक–31.07.2024, 22.08.2024, 19.09.2024, 04.10.2024, 18.10.2024 एवं 04.11.2024 को बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई है। यह आरोप बेबुनियाद है।	के द्वारा किया गया परिलक्षित होता है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान मुख्य पार्षद के द्वारा दिनांक–16.11.2023 दिनांक–13.02.2024 एवं दिनांक–15.03.2024 को तीन बार सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलायी गयी है, परन्तु इनके द्वारा बोर्ड की बैठक नहीं बुलायी गयी। अतः आरोप की पुष्टि होती है।
4.	मेरे द्वारा अपने नाती (सगी बेटी के पुत्र) की बहाली बिना विज्ञापन एवं बहाली की प्रक्रिया अपनाए, सहायक के पद पर की गई है, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–53 का उल्लंघन है।	श्री मनीष कुमार, पिता–स्व0 मोहनलाल यादव की नियुक्ति ग्रुप ''सी'' में निम्नवर्गीय लिपिक(सहायक) के पद पर दिनांक–13.02.2024 की सम्पन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से दैनिक मजदूरी पर की गई थी, जिसे दिनांक–26.10.2024 की सम्पन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक में विधिवत् प्रस्ताव पारित कर उक्त नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है तथा कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय आदेश पत्रांक–765, दिनांक–28.11.2024 द्वारा नियुक्ति को रद्द करते हुए, कार्यमुक्त कर दिया गया है। (पत्रांक–765, दिनांक–28.11.2024 संलग्न)। उक्त नियुक्ति विशेष परिस्थिति में नगर परिषद् के कार्यालय कार्यहित में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया गया था तथा 13.02.2024 के पारित प्रस्ताव में परिवादी श्रीमती पुष्पा देवी, उप पार्षद, की भी सहमति थी। मेरे उपर बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–53 का उल्लंघन का	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् रक्सौल के द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि:– इस संदर्भ में मुख्य पार्षद के द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मुख्य पार्षद द्वरा श्री मनीष कुमार के साथ अपने संबंधों का उल्लेख नहीं किया गया है तथापि ग्रुप सी में नियुक्ति करना विभागीय निर्देश एवं नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन है। अतः आरोप की पुष्टि होती है।

		जो आरोप है, वह बिल्कुल ही अप्रासंगिक है। धारा–53 में परिवार की व्याख्या में स्पष्टतः वर्णित है कि ''परिवार के सदस्य के अभिप्रेत है, कि पार्षद पति या पत्नी, पार्षद के पुत्र एवं पुत्री'' मेरे उपर अपने नाती (बेटी के पुत्र) के बहाली का आरोप लगाया गया है, वह निराधार है। सहायक की बहाली का निर्णय मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, वह सशक्त स्थायी समिति का सामूहिक निर्णय था, जिसमें परिवादी उप मुख्य पार्षद, श्रीमती पुष्पा देवी की भी सहमति थी तथा अस्थायी बहाली का आदेश दैनिक मजदूरी पर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वार निर्गत किय गये थे।	
5.	उपरोक्त सभी बिन्दुओं से संबंधित कुल 14 पार्षदों के द्वारा मुझे एक आवेदन दिया गया है, जिसे मेरे द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु दिया गया है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त आरोप में श्रीमती धुरपति देवी, नगर सभापति, नगर परिषद्, रक्सौल को उनके पद से पद पदमुक्त करने की कृपा की जाय, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृति न की जा सकें।	इस आरोप के संबंध में भवदीय से कहना है कि उप मुख्य पार्षद, श्रीमती पुष्पा देवी, अघोषित कारणों से नगर परिषद् में वार्ड पार्षद गणों का एक गिरोह बनाकर मेरे विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी के इशारे पर अनर्गल प्रलाप कर रही है तथा मेरे विरूद्ध मुझे मद मुक्त करने के लिए परिवाद–पत्र समर्पित की है। मेरे विरूद्ध समर्पित परिवाद–पत्र गहरी साजिस का हिस्सा है। यह एक निर्वाचित मुख्य पार्षद को पदमुक्त करने की पुरजोर कोशिश एवं मनोकल्पित आरोप है।	

आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण का प्रतिवेदन अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायनिर्णयों तथा

विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध मुख्य रूप से तीन आरोप लगाये गये हैं–

(1) वैधानिक प्रावधानों के अधीन होने वाले नगरपलिका की बैठकों को न्यूनतम निर्धारित संख्या में आहूत नहीं करना, (2) विभागीय नियमों के विपरीत ग्रुप–सी में अवैध बहाली तथा (3) अपने लाभ हेतु नगरपालिका में सगे–संबंधियों की अवैध बहाली तथा सरकारी निधि की अवैध निकासी करना।

आयोग द्वारा तीनों आरोपों का परिशीलन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया जिसमें वादी द्वारा संदर्भित माननीय न्यायालयों से निर्गत न्यायादेशों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, तो यह पाया गया कि वादी के आरोप सही है।

नगरपालिका के अधीन दो बैठकों का वैधानिक प्रावधान है जिसे आहूत करने की वैधानिक जिम्मेदारी मुख्य पार्षद को दी गयी है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–48 के प्रावधान निम्नवत् है:–

"48(1) नगरपालिका अपने कार्य संचालन हेतु प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करेगी। (The Municipality shall meet not less than once in every month of the transaction of its business.)

48(2) मुख्य पार्षद, जब कभी उपयुक्त समझे तथा पार्षदों को कम से कम 2/5, भाग द्वारा लिखित रूप में अध्यपेक्षा किये जाने पर, नगरपालिका की बैठक पन्द्रह दिनों, के भीतर आहूत करेगा।"

ठीक इसी प्रकार सशक्त स्थायी समिति की बैठक के संबंध में बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावाली–2010 के नियम–3 में प्रावधान है कि –" समिति साधारणतया महीने में दो बार सामान्यतः पहले और तीसरे सोमवार को वैसे घंटों के लिए जैसा समिति समय–समय पर निर्धारित करें, नगरपालिका के कार्यलय में बैठक करेगी। (The Committee shall meet at the Municipal Office ordinarily twice in a month generally on first and third Monday at such hours as the Committee may from time to time determine.)

परन्तु यदि किसी महीने के पहले या तीसरे सोमवार को राजपत्रित छुट्टी पड़े, या अध्यक्ष के विचार में किसी अन्य कारण से असुविधाजनक हो तो, ते कारणों की लिखित रूप में अंकित करते हुए साधारण बैठकों के लिए दूसरा दिन तय करेंगे।" (Provided that if the first or third Monday of any month falls on a Gazetted Holiday, or if the Chairman for any other reason considers such day inconvenient, he may with reasons to be recorded in writing fix another day for the ordinary meetings.)

उक्त अधिनियम की धारा–27(अ) में मुख्य पार्षद की शक्तियों एवं कार्यों का वैधानिक प्रावधान अंकित है, जो निम्नवत् है–

धारा–27(अ)(1) मुख्य पार्षद नगरपालिका के कार्यपालक अध्यक्ष होगा ओर नगरपालिका प्रशासन उसके पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त है।

धारा–27(अ)(2) मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी समिति एवं पार्षदों के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा। मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उपमुख्य पार्षद अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।"

उक्त वैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि नगरपालिका प्रशासन का संचालन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अधीन संचालित करने की वैधानिक जिम्मेदारी मुख्य पार्षद की है। अतः वैधानिक प्रावधानों के अधीन पार्षदों की बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की निर्धारित न्यूनतम बैठकों का नहीं कराया जाना मुख्य पार्षद द्वारा जान–बूझकर अपने वैधानिक कर्त्तव्यों की उपेक्षा का प्रमाण है। इस संबंध में प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि विभिन्न निर्वाचनों या अन्य कारणों से बैठके आहूत नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन के समय आदर्श आचार सहिता के तहत वैधानिक प्रावधानों के अधीन निर्धारित बैठकों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। ऐसी बैठकों पर प्रतिबंध केवल इतना रहता है कि इन बैठकों में कोई नयी योजना पारित नहीं की जायेगी अथवा ऐसी बैठकों में किसी ऐसे जनप्रतिनिधि/राजनीतिक दल के सदस्य को शामिल नहीं किया जायेगा जो उस निर्वाचन में भाग ले रहे हो। वैधानिक प्रावधान एवं नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किन्ही कारणों से बैठके आहूत नहीं की जाती तो उसे कार्यवाही प्रतिवेदन में अभिलेखित किया जायेगा, परन्तु विचाराधीन मामले में प्रतिवादी द्वारा न तो बैठके आहूत की गयी है और न ही बैठके आहूत नहीं करने का कोई कारण अभिलेखित किया है। यहाँ तक कि उनके द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि निर्वाचनों के कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति की बैठकों पर रोक लगा दिया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि प्रतिवादी द्वारा जान–बूझकर सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक मनमाने ढ़ंग से आहूत करना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No-15843/2007 में दिये गये न्यायनिर्णय के आलोक में इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों एवं कृत्यों की जान–बूझकर उपेक्षा है तथा इस कारण से वह बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा–18(1)(ठ) के तहत अयोग्य घोषित किये जाने योग्य है।

आयोग द्वारा वादी के दूसरे आरोपों का परीक्षण किया गया, तो पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा ग्रुप–सी एवं ग्रुप–डी में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रक्सौल द्वारा अस्थायी नियुक्ति की गयी थी, परन्तु इसका प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के बैठक में पारित था। अतएव मुख्य पार्षद होने के नाते विभागीय अधिसूचना संख्या–1843, दिनांक–12.05.2021 एवं अधिसूचना संख्या–3824, दिनांक–08.08.2023 के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्ताव पारित हो रहा है, अथवा नहीं, इसकी देख–रेख एवं वैधानिक जवाबदेही मुख्यतः मुख्य पार्षद एवं तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रक्सौल पर ही थी, परन्तु जाँच में उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का प्रमाणित उल्लंघन जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा पाया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि दोनों पदधारक अर्थात् मुख्य पार्षद एवं तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रक्सौल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अवैध नियुक्ति किया गया है।

(3.) आयोग द्वारा वादी के तीसरे आरोपों का भी परीक्षण किया गया, तो यह पाया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा नगर परिषद्, रक्सौल में अपने सगे–संबंधियों की नियुक्ति अवैध रूप से की गयी। साथ ही साथ उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों के विपरीत अपने पद का दूरूपयोग करते हुए, सरकारी निधि से अवैध निकासी की गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा भी उन्हें **बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–25(4) के प्रावधानों के अधीन प्रतिवादी को दोषी पाते हुए, आदेश ज्ञापांक–2301, दिनांक–05.08.2025** मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, रक्सौल के पद से पदमुक्त कर दिया गया है। विभागीय आदेश का प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

"(6.) इस प्रकार उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक/स्वीकार योग्य नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि श्रीमती धुरपति देवी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, रक्सौल ने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार किया गया तथा वे कर्त्तव्य के निर्वहन में दुराचार का भी दोषी पाई गयी है।

(7.) अतएव श्रीमती धुरपति देवी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, रक्सौल को अपने कृत्यों एवं अपने कर्त्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करने तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–25(4) के अधीन तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है।"

उक्त विभागीय आदेश से भी यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी श्रीमती धुरपति देवी, तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, रक्सौल कर्त्तव्यों के निर्वहन में दुराचार की दोषी पाई गयी है।

उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें विभाग द्वारा पद से हटा दिया गया है, तो आयोग के स्तर से उन्हें अयोग्य/निरर्हित घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानानुसार निरर्हता/अयोग्यता पर विचार करने हेतु शक्तियाँ आयोग को प्रदान की गयी है तथा इस हेतु अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई का प्रावधान है, जबकि विभाग द्वारा किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को प्रशासनिक शक्तियों के अधीन पद से हटाया जाता है।

इस प्रकार उनके द्वारा बैठक आयोजित करने के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत न्यूनतम निर्धारित बैठकों को जान–बुझकर आहूत नहीं किया गया तथा नगरपालिका के ग्रुप–सी0 एवं ग्रुप–डी0 के पदों पर अवैध नियुक्ति के साथ–साथ अपने सगे–संबंधियों के गैर नियमानुकूल नियुक्ति करने एवं सरकारी निधि के अवैध निकासी के प्रमाणित आरोपों के कारण कर्त्तव्यों एवं कृत्यों की जान–बुझकर उपेक्षा तथा निहित शक्तियों के दूरूपयोग के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) के तहत अयोग्यता/निरर्हत्ता अर्जित कर ली गयी है। अतः उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l)–सह–पठित धारा–18(2) के तहत प्राप्त शक्तियों के अधीन तत्काल प्रभाव से नगरपालिका के अन्तर्गत पदधारण करने हेतु अयोग्य एवं निरर्हित घोषित किया जाता है।

तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रक्सौल द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के विपरीत प्रतिवादी से सांठ–गाँठ कर अवैध बहाली एवं अवैध सरकारी धन के निकासी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के प्रतिवेदन से प्रमाणित है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, रक्सौल के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के कारण विभागीय कार्रवाई के लिए आरोप प्रपत्र–'क' गठित कर अविलम्ब प्रेषित किया जाए तथा इसकी एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध करायी जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–16/2025 1700 पटना, दिनांक 28/4/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, रक्सौल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही त्वरित गति से सुनिश्चित करने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से यथाशीघ्र आरोप प्रपत्र–'क' प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाए।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–16/2025 1700 पटना, दिनांक 28/4/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह--जिला पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**/वरीय उप समाहर्त्ता–सह–विकास शाखा प्रभारी, **पूर्वी चम्पारण** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–16/2025 1700 पटना, दिनांक 28/4/2026

प्रतिलिपि–श्रीमती पुष्पा देवी, उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद्–रक्सौल, **जिला–पूर्वी चम्पारण** एवं श्रीमती धुरपति देवी, तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, रक्सौल, कौड़िहार चौक, वार्ड संख्या–19, **जिला–पूर्वी चम्पारण** को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–16/2025 1700 पटना, दिनांक 28/4/2026

प्रतिलिपि–श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी